न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्य प्रदेश

20 Rs. COURT FEE 20 रु.
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

रिवि. 1904-I/07

1. रामस्वयम्बर तनय सुदर्शनराम ब्रा. उम्र 66 वर्ष ।
2. शम्भूराम तनय हीरामणिराम ब्रा. उम्र 33 वर्ष ।
3. लीला देवी पत्नी राजमणि उम्र 48 वर्ष ।

सभी निवासी ग्राम हड़बड़ो व कुकुड़ीझर, तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

..............................आवेदकगण

बनाम

1. सुखलाल तनय गंगा काछी उम्र 43 वर्ष ।
2. रामराज तनय गंगा काछी उम्र 29 वर्ष ।
3. बबनी पुत्री गंगा काछी उम्र 38 वर्ष ।
4. सुखरजुआ बेवा पत्नी गंगा काछी 55 वर्ष ।
5. इन्द्ररनुआ पुत्री बसंत काछी उम्र 46 वर्ष ।
6. बब्बी पुत्री बसंत काछी उम्र 38 वर्ष ।
7. बबनी पुत्री बसंत काछी उम्र 33 वर्ष ।
8. मलुआ पुत्री बंसत काछी उम्र 38 वर्ष ।
9. कुसमी पुत्री बसंत काछी 26 वर्ष ।
10. भाईलाल तनय बुद्धी काछी उम्र 49 वर्ष ।
11. दलनुआ पुत्री बसंत काछी उम्र 43 वर्ष ।

सभी निवासी ग्राम घोड़दर तहसील चितरंगी जिला—सीधी ।

12. विश्वनाथ तनय बुद्धी काछी उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम हड़बड़ो तह.गोपद बनास जिला—सीधी ।
13. रमरजुआ बेवा पत्नी बसंत काछी उम्र 72 वर्ष सा. घोड़दर तह. चितरंगी जिला सीधी ।
14. हीरालाल तनय बसंत काछी उम्र 44 वर्ष सा. मड़वा तह. गोपद बनास जिला—सीधी ।
15. संजय सिंह तनय राजेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 29 वर्ष सा. करौंदिया उत्तर टोला सीधी तह. गोपद बनास जिला—सीधी म.प्र.

..............................अनावेदकगण

श्री मुकेश आर्य द्वारा आज दि. 5-12-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

W3
मुकेश आर्य
5-12-07 एडवोकेट
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1904–एक/07 जिला –सीधी

तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा यह रिव्यु प्रकरण कमांक 1904–एक/07 राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1871–तीन/06 में पारित आदेश दिनांक 8.5.07 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम हडबडो तहसील गोपद बनास जिला सीधी में स्थित भूमि खसरा कमांक 427 रकवा 1.12 है0, 426 रकवा 0.03 है0, 414 रकवा 0.05 है0 कुल किता 3 योग रकवा 1.20 है0 के संबंध में आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विरूद्व दिनांक 3.11.99 को मान0 द्वितीय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी जिला सीधी के न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को सिविल वाद कमांक 465ए/01 वर्तमान समय में पंजीवद्व होकर विचाराधीन है।' उक्त सिवलि वाद में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय से विविध अपील कमांक 42/05 दिनांक 26.11.05 को आवेदक गण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदक कमांक 15 के विरूद्व भूमि खसरा कमांक 427 के संबंध में आवेदकगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित करते हुये यथा स्थिति बनाये जाने का	

क्रमशः

आदेश पारित किया गया । इस प्रकार भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने के लिये रोक लगाई गई है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में अनावेदक कमांक 15 द्वारा तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी के न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही चालू रखे जाने पर माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के पूर्व अपर कलेक्टर महोदय सीधी तथा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने से आवेदकगण को न्याय के लिये राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की थी जिसमें प्रकरण कमांक 1871–तीन/06 में पारित आदेश दिनांक 8.5.07 निरस्त की गई थी इसी से परिवेदित होकर यह पुनर्विलोकन किया गया है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि खसरा कमांक 427 रकवा 1.12 है0 स्थित ग्राम हडबडो तहसील गोपद बनास जिला सीधी के संबंध में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.1.05 के आलोक में सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है। इस कारण अनावेदक कमांक 15 द्वारा तहसील न्यायालय में चालू की गई नामांतरण की कार्यवाही सिवलि न्यायालय के निराकरण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है। उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 5 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि नामांतरण की कार्यवाही होने से किसी के स्वत्व पर कोई असर नही होता

है। जबकि यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नामांतरण की कार्यवाही पूरी किये जाने के पश्चात अनावेदक कमांक 15 विवादित भूमियों का भूमि स्वामी हो जायेगा, और ऐसा भूमि स्वामी स्वत्व के आधार पर अनावेदक कमांक 15 आवेदकगण को बेदखल कर देगा, ऐसी दशा में सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावहीन हो जायेगा। इसलिये पारित आदेश का पुनर्विलोकन आवश्यक है। उन्होंने अंत में निवेदन किया है कि पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार किया जावे।

4– अनावेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान द्वारा निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1871–तीन/2006 में पारित आदेश दिनांक 8.5.2007 का निर्णय सही है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सर्वे कमांक 427 रकवा 1.12 पर माननीय सिविल कोर्ट द्वारा दिनांक 26.11.05 को स्थगन दिया गया है । इस सर्वे कमांक को छोड़कर अन्य सर्वे कमांक 142 रकवा 0.14, सर्वे कमांक 414 रकवा 0.05, सर्वे कमांक 426 रकवा 0.03 पर सिविल न्यायालय को कोई स्थगन नहीं है । इन नबंरानों पर तहसीलदार विकय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही धारा 109, 110 के प्रावधानों के अन्तर्गत करने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त कार्यवाही से उभयपक्ष भी सहमत है। इस प्रकार आवेदक का रिव्यु प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य